बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

मनरेगा के अंतर्गत जन शिकायतों के प्रभावी निष्पादन के लिए जिला स्तरीय लोकपाल की व्यवस्था प्रस्तावित है । विस्तृत दिशा निदेश यथा दायित्व एवं कर्तव्य बेवसाईट पर उपलब्ध है ।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के [illegible] के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निवारण हेतु राज्य के निम्नलिखित जिलों यथा औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जमुई, मधुबनी, मुंगेर, पटना, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, सीतामढी, अररिया, अरवल, बांका, पूर्वी चम्पारण, नवादा, रोहतास, शेखपुरा, सिवान, सुपौल एवं सहरसा जिलों में लोकपाल (Ombudsman) की नियुक्ति के लिए पैनल तैयार करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों से ग्रामीण विकास विभाग के बेवसाईट rdd.bih.nic.in पर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि दिनांक- 30.05.2015, 17.00 बजे तक होगी ।

नियुक्ति के शर्तें :-

1. लोकपाल (Ombudsman) का चयन दो वर्षों के लिए होगा [illegible] उनके द्वारा संपादित कार्यों के समीक्षोपरान्त उन्हें अधिकतम 2 बार एक वर्ष का अवधि विस्तार किया जा सकेगा ।
2. लोकपाल (Ombudsman) के प्रत्येक बैठक हेतु 1000/- रूपया मानदेय के रूप में अधिकतम सीमा 20,000/- रूपये प्रति माह देय होगा । इसके अलावे किसी प्रकार के अन्य भत्ते देय नहीं होगें । जॉच कार्य हेतु क्षेत्रीय भ्रमण की सुविधा देय होगी ।
3. लोकपाल (Ombudsman) कार्यालय जिला स्तरीय मुख्यालय में होगा ।
4. आवेदक किसी भी राजनैतिक दल से संबंधित नहीं हों ।

योग्यता:- अचूक सत्यनिष्ठा एवं उत्कृष्ट ख्याति प्राप्त व्यक्ति जों मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से स्नातक हो तथा लोक प्रशासन यथा अपर समाहर्ता एवं उच्च स्तर के सेवानिवृत पदाधिकारी, विधि यथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश या उच्च स्तर के सेवानिवृत विधि पदाधिकारी, अभियंत्रण सेवा यथा अधीक्षण अभियंता या उच्च स्तर के सेवा निवृत अभियंता, सामाजिक कार्यों में संबद्ध व्यक्ति जो 20 वर्षो से अन्यून ख्याति प्राप्त NGO के कार्य अनुभव रखते हो ।

उम्र सीमा:- अधिकतम 66 वर्ष- (दिनांक- 31.01.2016 के आधार पर) ।

(हस्ताक्षर) 20.5.15

सचिव,

ग्रामीण विकास विभाग ।